मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-11/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों को मत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान तथा पेंशन धन से प्रत्याहरण का लाभ ।

—••—

मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 को या उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (पूर्व नाम नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना) लागू की गई है ।

2/ राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं को, योजनान्तर्गत उनके खाते में जमा राशि में से सेवाकाल में प्रत्याहरण की तथा म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियमों के अन्तर्गत शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति/सेवाकाल में मृत्यु होने पर, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान के समान वर्तमान में पात्रता नहीं है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया गया है कि :-

(अ) राज्य शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 को या उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 44 के प्रावधानों के अधीन मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की पात्रता होगी ।

(ब) राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाता विशेष परिस्थितियों में संचित पेंशन धन राशि से भारत के राजपत्र में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 के अनुसार आहरण कर सकेंगे ।

(स) अभिदाता के सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व योजना में अंशदान का कटौत्रा बंद किया जाएगा ।

4/ उपर्युक्त (ब) एवं (स) के संबंध में प्रक्रिया संबंधी निर्देश पृथक से प्रसारित किए जाएंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

16/1/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 9-11/2017/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2018

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग